भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3527
उत्तर देने की तारीख 10.08.2026

कलाकारों को सहायता

3527. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान लोक, जनजातीय, शास्त्रीय और समकालीन कलाकारों सहित क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सहायताप्राप्त कलाकारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान जनजातीय कलाकारों, अन्य कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थानों और कला संगठनों को प्रदान की गई मानदेय, छात्रवृत्ति, अनुदान और अन्य सहायता सहित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की वर्ष-वार, योजना-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास कलाकारों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों के पृथक आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या योजना-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और

(घ) जनजातीय कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता को और मजबूत करने, उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और देशभर में विलुप्तप्राय लोक, जनजातीय और पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): भारत सरकार ने देश भर में लोक/जनजातीय कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों के संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) स्थापित किए हैं, जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों और कार्यक्रमों का नियमित आधार पर आयोजन करते हैं जिसके लिए वे अपने सदस्य राज्यों के शास्त्रीय कलाकारों

सहित लोक/जनजातीय कलाकारों को शामिल करते हैं। इन कलाकारों को उनकी आजीविका अर्जन में सक्षम बनाने के लिए मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, स्थानीय परिवहन, आवास और भोजन इत्यादि का भुगतान किया जाता है। पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान इन केंद्रों से सहायता प्राप्त कलाकारों की राज्य-वार संख्या के साथ उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता (मानदेय सहित) का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों का संचालन करता है जिसमें जनजातीय कलाकारों, अन्य कलाकारों, सांस्कृतिक संस्थानों और कला संगठनों को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, अनुदान और अन्य सहायता प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. **गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता:** इस स्कीम घटक का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, सभी कला रूपों के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

ii. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता:** इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, भारत में पंजीकृत हो, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों, जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का व्यय किया हो।

iii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) :** इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

iv. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता :** इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 72,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम है और जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाती है।

v. **विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना:** इस स्कीम का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूकअभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक एवं स्वदेशी कलाओं और सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भारत के भीतर उन्नत प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा वाले युवा कलाकारों को सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक बैच वर्ष में अधिकतम 400 विद्वानों का चयन किया जाता है। यह छात्रवृत्ति 2 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है और छात्रवृत्ति का वितरण डीबीटी मोड के माध्यम से छमाही आधार पर किया जाता है।

vi. **संस्कृति के क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना:** इस स्कीम का उद्देश्य कला के कुछ पारंपरिक रूपों के पुनरुद्धार के लिए अति उन्नत प्रशिक्षण या व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास हेतु बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम संस्कृति के विभिन्न रचनात्मक क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए है। इस स्कीम के दायरे में ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के कलाकार भी शामिल हैं। यह अध्येतावृत्ति अनुसंधान-उन्मुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रदान की जाती है। आवेदक को परियोजना को शुरू करने की अपनी क्षमताओं का प्रमाण देना होगा। यह अध्येतावृत्ति 2 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है और अनुदान का वितरण डीबीटी मोड के माध्यम से छमाही आधार पर किया जाता है।

vii. **सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर):** इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम 02 वर्षों की अवधि के लिए 15 अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिकता भत्ता) और 25 छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिकता भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

विगत पांच (05) वर्षों के दौरान उपरोक्त स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और जारी किए गए अनुदान/वितरित निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): कलाकारों के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित लाभार्थियों के ऐसे कोई पृथक आंकडें नहीं रखे जाते हैं।

(घ): सभी जेडसीसी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों, शिल्पग्रामों/कलाग्रामों, राष्ट्रीय शिल्प मेला, ऑक्टेव, भारत पर्व, हॉर्नबिल फेस्टिवल, जनजातीय कला और शिल्प महोत्सव, आदि बिम्ब, आदि सप्त पल्लव, आदि लोक रंग, आदिवासी महोत्सव आदि में सहभागिता की सुविधा प्रदान करके जनजातीय

कलाकारों और शिल्पकारों को सतत आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। इन आयोजनों के दौरान, जनजातीय शिल्पकारों को अपने हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य पारंपरिक उत्पादों को सीधे आगंतुकों को प्रदर्शित करने और विक्रय करने के लिए मंच और प्रदर्शनी स्टॉल प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे बाजार तक पहुंच के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ही, जनजातीय मंच कलाकारों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दर्शकों के सामने अपने पारंपरिक कला रूपों को प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी दृश्यता, पहचान और भविष्य में कार्यक्रमों में प्रदर्शन के अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये पहलें न केवल जनजातीय कलाकारों और शिल्पकारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता को मजबूत करती हैं, अपितु व्यापक स्तर पर सार्वजनिक सराहना और सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से आजीविका के स्थायी अवसरों का सृजन करते हुए स्वदेशी सांस्कृतिक परंपराओं के परिरक्षण को भी बढ़ावा देती हैं।

संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों (जेडसीसी) ने हमारे लोक और जनजातीय कला रूपों - नृत्य, संगीत, कला और मंच कला आदि के परिरक्षण और प्रसार के अपने दायित्व का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है। इन जेडसीसी ने नई पीढ़ी के कला प्रेमियों और साधकों के बीच हमारे लोक और जनजातीय कला रूपों की गत्यात्मकता को परिरक्षित करने, प्रलेखित करने और उनका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, अनुसंधान एवं प्रलेखन स्कीम संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य और ललित कला जैसे विषयों में लुप्त हो रही दृश्य और मंच कलाओं के परिरक्षण और संवर्धन में सहायता करती है। यह पहल इन परंपराओं को प्रिंट और दृश्य-श्रव्य दोनों स्वरूपों में प्रलेखित करती है, जिसमें कला रूपों का चयन राज्य के सांस्कृतिक विभागों के परामर्श से किया जाता है। ये जेडसीसी लुप्तप्राय लोक/जनजातीय कला रूपों को रिकॉर्ड और प्रलेखित करने के साथ-साथ लोककथाओं और वाचिक इतिहास से संबंधित पुस्तकों, रिपोर्टों और कहानियों के मुद्रण का कार्य भी करते हैं।

अनुलग्नक-I

'कलाकारों को सहायता' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत पांच वर्षों के दौरान जेडसीसी से सहायता प्राप्त करने वाले लोक/जनजातीय/शास्त्रीय कलाकारों की संख्या और उन्हें मानदेय सहित प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष									
	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	कलाकारों की संख्या	राशि	कलाकारों की संख्या	राशि	कलाकारों की संख्या	राशि	कलाकारों की संख्या	राशि	कलाकारों की संख्या	राशि
आंध्र प्रदेश	2537	49.36	1190	38.35	516	35.19	495	91.75	336.63	43.85
अरुणाचल प्रदेश	1681	70	1627	85.13	1812	76.25	1607	98.27	1707	116.58
असम	4045	149.86	3717	173.08	3122	142.98	3888	192.36	3835	185.36
बिहार	1019	36.91	1511	91.13	1331	55.52	1207	127.27	1636	63.94
छत्तीसगढ़	740	70.13	847	79.43	1485	37.11	259	89.27	1750	51.67
गोवा	113	8.69	309	30.45	423	28.16	210	24	408	47.27
गुजरात	760	43.31	558	50.92	746	53.19	727	84.35	1561	169.27
हरियाणा	1072	38.73	1902	139.89	3128	154.65	1844	123.03	2553	164.88
हिमाचल प्रदेश	904	32.96	1762	128.41	2787	129.49	1658	94.31	1664	91.17
झारखंड	1605	45.05	1254	59.09	941	30.49	995	40.43	1542	66.13
कर्नाटक	2620	104.94	2409	151.12	1201	67.45	728	118.27	1876	140.35
केरल	606	28.56	771	54.13	1341	79.54	1247	89.8	1118	86.74
मध्य प्रदेश	913	48.69	2015	182.77	2029	260.71	886	92.98	924	74.8
महाराष्ट्र	2563	215.12	6662	444.29	3714	187.54	510	198.36	2585	194.55
मणिपुर	2274	80.91	2293	119.29	1982	99.29	1751	116.52	1923	185.69
मेघालय	1830	74.6	1587	80.9	1728	78.1	1660	95.3	1753	102.05
मिजोरम	2721	110.77	2634	88.58	2898	86.11	3126	90.16	3506	102.83
नागालैंड	2760	112.37	2382	99.94	2564	110.12	3096	114.42	3323	132.54
ओडिशा	2188	98.16	1607	83.38	2069	95.3	2570	126.62	1752	165.74
पंजाब	1187	43.34	2224	170.85	3075	139.43	1884	100.72	1962	131.1
राजस्थान	2031	130.53	3823	335.5	4132	275.15	3592	361.53	4166	378.7
सिक्किम	2498	90.87	2308	100.85	2470	92.58	2226	92.42	2299	140.3
तमिलनाडु	1535	127.52	4591	262.48	6500	274.72	5750	339.55	5164	238.09
तेलंगाना	3346	31.72	1818	87.44	1340	85.69	1211	182.37	1425	131.09
त्रिपुरा	2387	83.1	2260	106.07	2436	95.62	2291	125.75	2202	124.86

उत्तर प्रदेश	3770	371.09	5468	187.72	9871	292.75	8697	3471.19	8024	203.34
उत्तराखंड	850	29.47	1958	194.13	2850	114.71	1679	98.54	2160	155.07
पश्चिम बंगाल	3298	178.4	3773	235.04	2782	171.7	2881	226.5	1990	334.45
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1019	37.64	2012	154.88	4794	230.28	1800	117.37	1821	132.48
संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	813	31.4	1406	87.49	1869	86.93	1172	61.51	1147	79.37
संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	250	11.47	350	11.00	380	10.67	460	20.72	235	24
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	469	17.12	1774	258.1	1395	161.73	3119	957.58	1645	181.91
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	122	17.64	105	9.5	212	25.67	185	32.08	172	23.36
संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली	39	2.7	10	0.95	50	3.2	24	2.47	174	18.71
संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप	0	0	15	2.13	0	0	15	1.7	36	3.88
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	189	1.99	2362	36.49	2992	72.32	2271	59.32	171	13.59
कुल	**56754**	**2625.12**	**73294**	**4420.90**	**82965**	**3940.34**	**67721**	**8258.79**	**70545.63**	**4499.71**

अनुलग्नक-II

'कलाकारों को सहायता' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत पांच (05) वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और जारी अनुदान/संवितरित निधियों का राज्यवार विवरण

i. गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान) :

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष									
	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.22
आंध्र प्रदेश	2	5.52	6	16.42	16	40.38	12	35.07	14	76.88
असम	24	227.1	37	214.54	54	277.54	23	263.25	80	531.46
बिहार	30	190.8	64	363.82	158	697.37	50	347.56	157	1080.99
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1	14.16	5	49.2	10	69.96	7	91.65	10	49.3
छत्तीसगढ	0	0	0	0	9	33.52	2	13.12	9	74.52
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	63	535.16	98	793.36	161	1065.18	87	823.77	169	1409.66
गुजरात	5	29.16	4	27.84	13	71.42	11	48.28	13	64.22
हरियाणा	4	30.84	24	93.06	23	124.2	15	138.16	21	105.7
हिमाचल प्रदेश	4	48.06	4	51.12	5	55.28	6	90.95	11	96.8
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	7	51.48	15	120.84	37	118.2	27	215.66	54	399.46
झारखंड	2	21.54	13	69.18	18	100.64	13	47.65	24	181.4
कर्नाटक	60	470.04	113	807.4	201	1009.94	96	738.67	288	2002.51
केरल	9	81.12	37	264.44	38	318.06	19	169.71	43	350.26
मध्य	34	236.58	73	525.48	106	687.19	69	654.78	175	1315.85

प्रदेश										
महाराष्ट्र	33	237.36	41	307.66	97	639.72	59	333.05	88	713.4
मणिपुर	96	669.78	147	900.72	173	973.68	119	816.68	318	2206.77
मिजोरम	0	0	4	26.64	2	10.9	2	10.88	6	28.8
नागालैंड	1	5.52	2	8.88	1	6.96	4	12.93	4	13.9
ओडिशा	27	152.16	55	289.2	115	515.29	67	343.87	215	1164.14
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	0	0	5	50.04	3	32.52	5	65.76	3	47.14
पंजाब	5	37.44	6	43.56	10	66.68	8	56.06	17	133.3
राजस्थान	9	57.12	17	95.2	32	123.52	16	140.66	47	314.06
सिक्किम			1	2.64	3	7.02			2	9.6
तमिलनाडु	4	17.28	19	108.6	22	143.02	14	90.15	24	191.72
तेलंगाना	9	82.56	17	153.02	19	109.52	17	131.72	33	312.96
त्रिपुरा	1	7.68	1	6.24	14	57.12	3	14.46	17	101.46
उत्तराखंड	5	23.04	16	80.86	17	65.96	12	76.03	25	202.34
उत्तर प्रदेश	26	195.32	57	293.97	107	438.32	70	502.02	130	867.91
पश्चिम बंगाल	112	821.76	333	2060.8	418	2288.48	208	1432.21	519	3592.78
कुल	**573**	**4248.58**	**1214**	**7824.73**	**1882**	**10147.59**	**1041**	**7704.76**	**2517**	**17639.51**

वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए, विगत वर्षों के कुछ बकाया डीबीटी मोड के माध्यम से प्रदान किए गए।

ii. राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता :

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वर्ष**									
	2021-22		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि
आंध्र प्रदेश	0	0.00	1	22.50	1	7.50	0	0.00	0	0.000
असम	0	0.00	0	0.00	1	22.50	2	22.50	2	20.00
बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.500
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	22.50	3	35.00
दिल्ली	1	5.99	7	241.25	11	276.25	8	103.75	13	167.29
हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.25	3	38.750
झारखंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	0	0.00
कर्नाटक	0	0.00	1	22.50	0	0.00	1	4.73	3	41.25
केरल	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50	4	68.75

महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	18.75	4	61.25
मध्य प्रदेश	0	0.00	1	0.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.25	3	33.75
ओडिशा	0	0.00	0	0.00	1	8.75	2	37.50	3	45.00
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	0	0.00	1	3.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00
राजस्थान	1	5.00	1	37.50	1	26.25	2	27.50	1	8.750
तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	15.00	0	0.00
तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	2	41.25	0	0.00	4	40.00
उत्तर प्रदेश	1	12.50	2	93.75	1	22.50	1	7.50	1	18.75
पश्चिम बंगाल	2	6.75	0	0.00	2	37.50	3	31.25	3	45.00
कुल	**5**	**30.24**	**14**	**421.84**	**23**	**491.25**	**27**	**375.98**	**48**	**631.04**

iii. सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी) :

(लाख रुपए में)

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वर्ष**									
	2021-22		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि
आंध्र प्रदेश	54	66.67	65	62.85	83	80.70	49	75.79	15	31.07
अरुणाचल प्रदेश	1	2.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	2.25
असम	25	34.66	48	96.21	68	114.11	27	36.59	47	98.13
बिहार	67	95.26	123	203.2	126	161.00	73	122.21	158	312.11
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	4	8.25	1	0.50	3	21.69	1	10.00	1	1.01
छत्तीसगढ	6	13.03	3	5.50	4	7.50	3	6.42	10	20.31
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	119	263.42	167	408.06	204	370.03	106	262.97	128	320.89
गोवा	2	3.75	1	0.625	1	1.50	2	2.12	3	6.75
गुजरात	11	19.12	17	23.40	16	12.34	3	3.59	10	19.00
हरियाणा	24	42.43	28	62.59	36	74.72	29	89.98	21	69.11
हिमाचल प्रदेश	14	21.91	8	11.00	15	25.75	11	12.92	21	38.97
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	41	43.63	52	50.33	49	33.76	30	36.37	71	103.74

झारखंड	6	11.37	11	14.26	7	8.00	10	12.75	15	21.92
कर्नाटक	203	284.6	218	349.42	221	208.22	235	494.09	196	400.77
केरल	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13	34	120.99
मध्य प्रदेश	94	200.42	141	264.90	161	155.17	100	202.89	196	414.86
महाराष्ट्र	27	63.63	56	104.12	34	29.64	44	97.31	49	106.76
मणिपुर	93	115.04	162	196.17	237	249.25	140	164.80	161	249.78
मिजोरम	2	1.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	2	2.25	5	4.62	4	1.35	2	1.00	0	0.00
ओडिशा	149	182.99	180	296.88	168	269.71	179	482.92	129	259.99
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	1	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	11.00
पंजाब	13	22.21	12	23.27	11	22.65	9	22.00	10	32.87
राजस्थान	33	63.81	48	81.16	57	46.28	40	61.59	65	139.32
सिक्किम	0	0.00	0	0.00	1	3.75	3	7.00	2	6.75
तमिलनाडु	21	34.84	15	18.87	11	10.73	16	35.35	15	52.27
तेलंगाना	9	13.87	16	16.87	16	9.61	25	51.18	13	30.46
त्रिपुरा	5	5.75	16	16.15	23	24.94	10	7.87	15	28.08
उत्तराखंड	16	14.78	24	28.11	31	21.91	22	30.00	37	54.26
उत्तर प्रदेश	235	274.55	278	343.33	268	244.07	218	395.66	307	566.95
पश्चिम बंगाल	310	364.14	410	544.44	357	206.86	302	435.65	339	614.44
कुल	**1615**	**2330.65**	**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**1710**	**3226.15**	**2073**	**4134.81**

iv. वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता :

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वर्ष**									
	2021-22		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
आंध्र प्रदेश	89	72.29	148	84.66	191	153.3	177	115.9	194	139.89
असम	1	0.48	1	1.57	3	2.41	2	0.9	5	10.09
बिहार	0	0.00	0	0.00	14	15.47	7	4.62	9	7.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0.00	0	0.00	8	5.87	10	4.92	11	9.95
हरियाणा	1	0.93	2	0.56	4	3.69	4	1.94	3	1.94
गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	41	7.1175	111	59.46

हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.3	2	2.52
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.06
झारखंड	5	3	7	3.59	4	3.88	3	2.76	2	1.8
कर्नाटक	146	59.55	130	64.32	344	341.98	397	354.67	440	448.06
केरल	57	24.49	51	25.3	67	64.21	80	85.82	93	118.53
मध्य प्रदेश	12	5.04	6	3.86	7	6.95	13	14.94	15	25.68
महाराष्ट्र	448	190.49	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19	1471	651.77
मणिपुर	16	7.84	5	0.6	13	14.7	14	14.94	19	21.26
नगालैंड	2	0.92	1	0.12	2	3.28	2	1.08	1	0.72
ओडिशा	828	276.95	966	306.77	1460	1063.4	1995	1106.51	2164	1627.37
पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.3	1	0.6
राजस्थान	2	1.23	2	0.71	2	1.36	2	2.52	3	1.57
तमिलनाडु	22	15.49	21	14.6	41	46.96	34	36.605	49	54.17
तेलंगाना	342	217.29	489	268.16	293	274.94	309	207.068	372	335.48
त्रिपुरा	2	0.92	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00
उत्तर प्रदेश	46	13.08	58	15.46	82	67.24	109	80.46	132	115.91
उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00	2	2.43	4	4.83	2	1.38
पश्चिम बंगाल	32	12.31	27	11.71	35	28.53	39	20.37	45	37.88
कुल	**2051**	**902.3**	**2655**	**1075.6**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.77**	**5145**	**3673.89**
एलआईसी द्वारा वितरित	978	639.87	996	783.58	0	0.00	0	0.00	0	0.00
कुल योग	**3029**	**1542.17**	**3651**	**1859.18**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.77**	**5145**	**3673.89**

v. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करना :

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वर्ष**									
	2021-22		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि	विद्वानों की संख्या	राशि
अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00	03	0.90	0	0.00	01	0.30
आंध्र प्रदेश	20	6.00	03	0.90	09	2.70	06	1.80	12	3.60
अरुणाचल प्रदेश	08	2.40	01	0.30	05	1.50	03	0.90	05	1.50
असम	56	16.80	28	8.40	89	26.70	58	17.40	79	23.70

बिहार	43	12.90	16	4.80	63	18.90	43	12.90	67	20.40
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	03	0.90	03	0.90	09	2.70	07	2.10	09	2.70
छत्तीसगढ	35	10.50	10	3.00	50	15.00	38	11.70	58	17.70
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	72	24.00	21	6.30	73	21.90	53	16.20	91	27.60
गोवा	04	1.20	02	0.60	06	1.80	04	1.20	02	0.60
गुजरात	26	7.80	05	1.50	23	6.90	19	5.70	30	9.30
हरियाणा	22	6.60	05	1.50	25	7.50	18	5.40	32	9.60
हिमाचल प्रदेश	04	1.20	0	0.00	04	1.20	03	0.90	07	2.10
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	16	4.80	01	0.30	09	2.70	08	2.40	18	5.40
झारखंड	17	5.10	08	2.40	24	7.20	17	5.10	27	8.70
कर्नाटक	80	24.00	30	9.00	97	29.10	63	18.90	91	27.60
केरल	74	22.20	20	6.00	71	21.30	48	14.40	83	25.20
मध्य प्रदेश	128	38.40	27	8.10	131	39.30	104	31.80	178	53.70
महाराष्ट्र	132	39.60	40	12.00	127	38.10	81	24.30	138	42.00
मणिपुर	30	9.00	08	2.40	39	11.70	29	8.70	52	15.60
मिजोरम	01	0.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ओडिशा	75	22.50	25	7.50	97	29.10	71	21.60	141	42.90
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	02	0.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	01	0.30
पंजाब	14	4.20	04	1.20	11	3.30	05	1.50	07	2.10
राजस्थान	21	6.30	10	3.00	37	11.10	25	7.50	34	10.50
सिक्किम	02	0.60	01	0.30	03	0.90	02	0.60	02	0.60
तमिलनाडु	37	11.10	18	5.40	51	15.30	32	9.90	42	12.60
तेलंगाना	12	3.60	03	0.90	13	3.90	08	2.40	16	4.80
त्रिपुरा	03	0.90	02	0.60	10	3.00	06	1.80	08	2.40
उत्तराखंड	08	2.40	03	0.90	16	4.80	10	3.00	17	5.10
उत्तर प्रदेश	153	45.90	35	10.50	134	40.20	97	29.70	163	49.80
पश्चिम बंगाल	195	58.50	67	20.10	278	83.70	219	65.70	362	109.80
कुल	**1293**	**390.30**	**396**	**118.80**	**1507**	**452.40**	**1077**	**325.50**	**1773**	**538.20**

vi. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान करना :

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष									
	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
	अध्येताओं की सं.	राशि	अध्येताओं की सं.	राशि	अध्येताओं की सं.	राशि	अध्येताओं की सं.	राशि	अध्येताओं की सं.	राशि
आंध्र प्रदेश	10	13.20	12	17.40	12	11.40	08	14.40	16	16.80
अरुणाचल प्रदेश	01	2.40	0	0.00	02	1.20	02	1.20	04	4.80
असम	51	75.60	50	58.80	70	69.60	70	84.00	110	150.60
बिहार	23	32.40	31	48.00	47	44.40	35	43.80	80	100.80
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	0	0.00	03	3.60	0	0.00	01	2.40	0	0.00
छत्तीसगढ	22	30.00	08	11.40	12	12.00	12	12.60	19	24.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	113	200.80	116	178.20	101	100.80	77	100.20	192	240.00
गोवा	06	12.00	01	2.40	0	0.00	0	0.00	02	2.40
गुजरात	22	37.20	18	27.00	23	21.60	14	19.20	36	45.60
हरियाणा	18	33.60	27	40.20	27	30.00	23	33.00	43	63.00
हिमाचल प्रदेश	02	2.40	07	7.20	04	3.00	04	5.40	06	6.00
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	07	13.20	14	19.80	13	10.20	13	11.40	27	30.00
झारखंड	23	44.40	15	17.40	24	30.60	15	24.00	24	31.20
कर्नाटक	62	100.80	43	61.20	57	64.80	33	48.60	68	89.40
केरल	43	68.40	62	85.20	60	54.00	54	73.80	84	96.60
मध्य प्रदेश	67	104.40	62	93.00	82	76.20	59	70.20	136	183.60
महाराष्ट्र	75	121.80	84	118.80	85	84.00	52	78.60	131	160.20
मणिपुर	58	102.20	33	37.20	62	60.00	64	70.20	88	112.80
मेघालय	01	2.40	2	1.20	0	0.00	01	1.20	02	2.40
नागालैंड	03	4.80	02	1.80	03	3.00	03	3.60	04	6.00
ओडिशा	108	171.40	89	129.60	90	93.60	83	105.60	167	225.60
संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी	04	7.20	04	7.20	02	1.80	02	3.00	02	1.20
पंजाब	08	12.00	06	7.20	11	10.20	06	9.00	20	24.00
राजस्थान	35	63.20	27	39.60	34	33.00	28	33.00	52	75.00

तमिलनाडु	22	45.60	19	24.60	15	15.00	15	23.40	29	38.40
तेलंगाना	17	27.60	22	27.00	28	28.80	21	24.60	31	49.20
त्रिपुरा	06	8.40	03	3.60	06	7.80	05	6.60	14	16.80
उत्तराखंड	10	14.40	13	21.00	13	12.60	10	13.20	12	12.60
उत्तर प्रदेश	103	167.20	120	154.80	158	146.40	116	157.20	204	267.60
पश्चिम बंगाल	81	115.00	87	118.20	100	93.00	102	116.40	130	162.60
कुल	**1001**	**1634.00**	**980**	**1362.60**	**1141**	**1119.00**	**928**	**1189.80**	**1733**	**2239.20**

vii. सांस्कृतिक शोध घटक के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर):

(लाख रुपए में)

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	**वर्ष**									
	2021-22		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि	लाभार्थियों की सं.	राशि
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00	2	13.50	1	3.00	3	8.40
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1	6.00	0	0.00	0	0.00	1	3.00	0	0.00
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	2.65	0	0.00	0	0.00	03	12.60	2	1.30
महाराष्ट्र	4	30.10	0	0.00	1	3.60	10	67.11	3	18.00
तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.00	4	11.40
तेलंगाना	1	13.50	0	0.00	3	18.00	3	16.80	0	0.00
कुल	**7**	**52.25**	**0**	**0.00**	**6**	**35.10**	**19**	**105.51**	**12**	**39.10**
